भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 38

मंगलवार, 22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना

***38. श्री दिनेशभाई मकवाणाः**
श्री महेश कश्यपः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करके आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने उद्योगों को मामूली रूप से सस्ते आयात की तुलना में घरेलू आपूर्तिकर्ताओं को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कोई नीतिगत उपाय किए हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 22.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 38 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): सरकार ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने के लिए कई पहलें शुरू की हैं जैसे:

i. पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) प्लेटफॉर्म जिसका उद्देश्य औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाना और देश की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, परियोजना में देरी को कम करने तथा राजमार्गों, रेल, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, लॉजिस्टिक्स अवसंरचना और अंतर्देशीय जलमार्गों में मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार करने में सहायता प्रदान करना है।

ii. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, 2022 (एनएलपी) का उद्देश्य एक किफायती, लचीला और टिकाऊ लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम सृजित करना है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के फोकस क्षेत्रों में कोयला, सीमेंट, उर्वरक, इस्पात, फार्मा आदि जैसे अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स हेतु सेक्टोरल योजना (एसपीईएल), मौजूदा आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क की जांच करना और मल्टी-मोडल परिवहन, डिजिटलीकरण और ऑटोमेशन को बढ़ावा देना शामिल है।

iii. भारत सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम तैयार कर रही है जिसका उद्देश्य विश्वस्तरीय ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों/क्लस्टरों का निर्माण करना है। ये औद्योगिक कॉरिडोर प्रमुख परिवहन मार्गों पर निर्धारित क्षेत्रों में स्थित हैं जैसे डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी), एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग, जहां इन मार्गों के दोनों ओर 100-200 किमी. के दायरे में नए औद्योगिक स्मार्ट सिटी और विनिर्माण क्लस्टरों की योजना बनाई गई है।

औद्योगिक स्मार्ट शहरों/क्लस्टरों को 'मांग से पहले' तैयार अवसंरचना और आईसीटी समर्थित सुविधाओं, वॉक टू वर्क कल्चर के साथ तैयार किया जा रहा है। इससे विनिर्माण निवेश में सहायता मिलेगी, आपूर्ति श्रृंखला और मजबूत होगी तथा भारत में औसत लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी।

iv. इष्टतमीकरण, अंतर-संचालनीयता, मोडल-शिफ्ट को बढ़ावा देने, वेयरहाउस स्थल के इष्टतम उपयोग हेतु दिशा-निर्देश और सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों हेतु हाल ही में वेयरहाउसिंग मानकों संबंधी एक ई-हैंडबुक लांच की गई है। वेयरहाउस के लिए

निर्धारित मानक मुख्य रूप से स्वास्थ्य और स्थिरता मानकों सहित वेयरहाउस की भौतिक अवसंरचना को प्रशासित कर रहे हैं। यह हैंडबुक अवसंरचना में सुधार, दक्षता प्राप्त करने, लागत को कम करने, निवेश आकर्षित करने, नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाने और वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करेगी।

v. पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टरप्लान और यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने डेटा-आधारित निर्णय लेने के संबंध में सुविधा प्रदान की है। यूलिप उद्योगजगत के उद्यमियों को विभिन्न मंत्रालयों के पास उपलब्ध लॉजिस्टिक्स और संसाधनों से संबंधित डेटा तक सुरक्षित पहुंच प्रदान कर रहा है, जिससे घरेलू और निर्यात-आधारित उद्योगों, दोनों के लिए मौजूदा आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क सुदृढ़ हो रहा है।

(ख) और (ग): उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उपाय शुरू किए गए हैं जैसे:

i. उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम से देश में उत्पादन, रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत को 'आत्मनिर्भर' बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई यह स्कीम 14 क्षेत्रों पर आधारित है, जिसमें घरेलू उत्पादन क्षमताओं को सुदृढ़ करने और वैश्विक चैंपियन बनाने में मदद के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए (लगभग 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का प्रोत्साहन परिव्यय शामिल है।

मार्च 2025 तक, 14 विभिन्न क्षेत्रों में 1.76 लाख करोड़ रुपए का वास्तविक निवेश प्राप्त हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप 16.5 लाख करोड़ रुपए का वृद्धिमान उत्पादन/बिक्री हुई है और 12 लाख से अधिक रोजगार (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) सृजित हुए हैं। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में पीएलआई स्कीमों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इन स्कीमों ने घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया है, जिससे उत्पादन बढ़ा है, नौकरियों का सृजन हुआ है और निर्यात को बढ़ावा मिला है।

पीएलआई स्कीम ने प्रमुख स्मार्टफोन कंपनियों को अपना उत्पादन भारत में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके परिणामस्वरूप, भारत

मोबाइल फोन विनिर्माण करने वाला एक प्रमुख देश बन गया है। उद्योग संघ और डीजीसीआईएस के अनुसार, मूल्य के संदर्भ में मोबाइलों का उत्पादन 2020-21 के 2,13,773 करोड़ रुपए से लगभग 146% से बढ़कर 2024-25 में 5,25,000 करोड़ रुपए हो गया है। इसी अवधि के दौरान, मूल्य के संदर्भ में मोबाइल फोनों का निर्यात 2020-21 के 22,870 करोड़ रुपए से लगभग 775% बढ़कर 2024-25 में 2,00,000 करोड़ रुपए हो गया है।

पीएलआई स्कीम के कारण, फार्मा क्षेत्र में कच्चे माल के आयात में महत्वपूर्ण कमी आई है। पेनिसिलिन-जी सहित अद्वितीय मध्यवर्ती सामग्री और बल्क ड्रग्स का विनिर्माण भारत में किया जा रहा है, और चिकित्सा उपकरणों (जैस सीटी स्कैन, एमआरआई आदि) के विनिर्माण में प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण हुआ है। चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई स्कीम के अंतर्गत, 21 परियोजनाओं ने 54 विशिष्ट चिकित्सा उपकरणों का निर्माण शुरू किया है, जिनमें लीनियर एक्सीलरेटर (लाइनैक), एमआरआई, सीटी-स्कैन, हार्ट वाल्व, स्टेंट, डायलाइज़र मशीन, सी-आर्म, कैथ लैब, मैमोग्राफ, एमआरआई कॉइल आदि जैसे उच्च-स्तरीय उपकरण शामिल हैं।

दिनांक 24.06.2025 की स्थिति के अनुसार, पीएलआई स्कीम के तहत, 12 क्षेत्रों, नामत: बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (एलएसईएम), आईटी हार्डवेयर, बल्क ड्रग्स, चिकित्सा उपकरण, फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, व्हाइट गुड्स, ड्रोन और ड्रोन घटक, विशेष इस्पात, वस्त्र उत्पाद और ऑटोमोबाइल तथा ऑटो घटकों के लिए 21,534 करोड़ रुपए की कुल प्रोत्साहन राशि संवितरित की गई है।

सरकार ने सितंबर 2021 में भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक उद्योग (पीएलआई-ऑटो) के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम अनुमोदित की है जिसे उन्नत ऑटोमोटिव उत्पादों के संबंध में देश की विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह स्कीम उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) वाहनों की 19 श्रेणियों और एएटी घटकों की 103 श्रेणियों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव करती है ताकि उन्नत ऑटोमोटिव

प्रौद्योगिकी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित किया जा सके।

व्हाइट गुड्स संबंधी पीएलआई स्कीम का उद्देश्य भारत में एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट्स उद्योग के लिए मजबूत घटक इकोसिस्टम का निर्माण करना है ताकि देश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न अंग बनाया जा सके। इस स्कीम की अनूठी विशेषता यह है कि यह स्कीम तैयार उत्पादों के लिए नहीं बल्कि केवल घटकों और सब-असेंबलीज़ के विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसकी शुरुआत के बाद भारत ने प्रमुख घटकों जैसे एयर कंडीशनर के कम्प्रेसर, कॉपर ट्यूब, हीट एक्सचेंजर, मोटर और कंट्रोल असेंबलीज़ के साथ-साथ एलईडी श्रेणी में एलईडी चिप पैकेजिंग, ड्राइवर्स, इंजन, लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, और कैपेसिटर के लिए मैटलाइज्ड फिल्मों का स्थानीय रूप से उत्पादन शुरू कर दिया है। इस बदलाव से आयात पर निर्भरता काफी कम हो गई है तथा घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती मिली है।

ii. मेक इन इंडिया' पहल की शुरुआत सितंबर, 2014 को की गई थी, जिसका उद्देश्य, निवेश को सुगम बनाना, नवप्रयोग को प्रोत्साहित करना, सर्वोत्तम अवसंरचना का निर्माण करना तथा भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवप्रयोग का केंद्र बनाना है। वर्तमान में, मेक इन इंडिया 2.0, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित 27 क्षेत्रों पर फोकस करता है।

सरकार ने कई नीतिगत पहलें शुरू की हैं जिनमें आत्मनिर्भर भारत पैकेज, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) और राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के तहत निवेश के अवसर, भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी), औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (आईपीआरएस), राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) का सॉफ्ट-लान्च आदि शामिल हैं जिससे विनिर्माण को बढ़ावा मिल सके। भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में फास्ट-ट्रेक निवेश के लिए परियोजना विकास प्रकोष्ठों (पीडीसी) के रूप में एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है।

सरकार ने देश में विनिर्माण संबंधी निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत 28,602 करोड़ रुपए (भूमि लागत सहित) की कुल परियोजना लागत के साथ 12 नए परियोजना प्रस्तावों को भी अनुमोदन प्रदान किया है।

iii. भारत ने नवंबर, 2023 में समृद्धि के लिए हिंद-प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) के तहत आपूर्ति श्रृंखला सुदृढीकरण समझौते (पिलर-II) पर हस्ताक्षर किए हैं, यह फ्रेमवर्क इस क्षेत्र में एक 14 सदस्यीय बहुपक्षीय समूह है। इस समझौते का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करना है।

iv. भारत आर्थिक व्यापार और देश के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर हस्ताक्षर और वार्ता कर रहा है। भारत ने अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ 14 एफटीए और 6 पीटीए (वरीयता वाले व्यापार समझौते) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन व्यापार समझौतों ने बाजार पहुंच बढ़ाने, प्रशुल्क और गैर-प्रशुल्क समस्याओं को कम करने, रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और संतुलित व्यापार सुविधा के माध्यम से घरेलू उद्योग को सहायता प्रदान करने में योगदान दिया है। सामूहिक रूप से, ये एफटीए भारत के घरेलू विनिर्माण, सेवा निर्यात और सुदृढ़ वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किए गए उच्च-गुणवत्ता वाले, व्यापक व्यापार समझौतों की ओर एक रणनीतिक परिवर्तन को दर्शाते हैं।

v. विभाग आयातित वस्तुओं के लिए न्यूनतम गुणवत्ता मानकों को अनिवार्य बनाने हेतु गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) भी जारी कर रहा है। इससे सस्ते आयात और डंपिंग की समस्या को कम करने में मदद मिलती है। सस्ते आयात की समस्या से निपटने और घरेलू विनिर्माण को संरक्षित करने के लिए न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) विनियमन भी लागू किया गया है।

vi. इस विभाग का फोकस मुख्य रूप से देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) सुनिश्चित करना है। यह कार्य विभिन्न पहलों के माध्यम से किया जाता है, जैसे कि व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी), बी-रेडी मूल्यांकन, जन विश्वास तथा

व्यवसायों और नागरिकों पर अनुपालन बोझ कम करने तथा विनियमन की लागत का मापन करने सहित व्यावसायिक विनियमों को सरल और सुचारू बनाना।

विनियामक अनुपालन बोझ (आरसीबी) पहल के तहत, यह विभाग नागरिकों और व्यवसायों पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर कार्य करता है। इसका लक्ष्य चार प्रमुख रणनीतियों: प्रक्रियाओं का सरलीकरण, कानूनों का युक्तिकरण, प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण और गौण अपराधों के गैर-अपराधीकरण के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाना है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 के द्वारा 19 मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों को गैर-अपराधीकृत किया है। इस सुधार को आगे बढ़ाते हुए, माननीय वित्त मंत्री ने जन विश्वास 2.0 पहल की घोषणा की है, जिसके तहत डीपीआईआईटी ने 39 मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत प्रशासित होने वाले अधिनियमों में आपराधिक प्रावधानों (मुख्य एवं गौण, दोनों प्रकार के अपराधों) का विश्लेषण किया है।

vii. भारत सरकार ने अपने संबंधित मंत्रालयों/विनियामकों के माध्यम से, अब तक भारत सरकार के विभिन्न विनियामकों/संबद्ध मंत्रालयों द्वारा बीआईएस के अनिवार्य प्रमाणन के लिए 773 उत्पादों को शामिल करते हुए कुल 190 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अधिसूचित किए हैं, ताकि भारत में आयातित वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके और देश में गुणवत्ता के प्रति जागरूकता में वृद्धि की जा सके।

*****